

कार्यालय : न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद (छ0ग0)

फोन एवं फॅक्स नं. : 07749-223077 ई-मेल : balod.court@nic.in

॥ सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन ॥

क्रमांक-³ / दो-11-1/2020

बालोद, दिनांक- 21.06.2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 05.07.2023 की संघ्या 5.00 बजे तक
(केवल, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से)

न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बालोद की स्थापना में निम्नानुसार, सहायक ग्रेड-तीन(सेल अमीन, टायपिस्ट) भृत्य एवं आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (माली/चौकीदार/स्वीपर) के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का विवरण																		
क्रं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	पदों के आरक्षण का विवरण															
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	सहायक ग्रेड-3	02	---	---	---	---	---	---	---	---	01	---	---	---	01	---	---	---
02	भृत्य	01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	01	---	---	---
आकस्मिकता निधि(कलेक्टर दर) पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी(माली/चौकीदार/स्वीपर)																		
03	माली-01 पद चौकीदार-01 पद स्वीपर-01 पद	03	---	---	---	---	01	---	---	---	01	---	---	---	01	---	---	---
	योग	06	---	---	---	---	01	---	---	---	02	---	---	---	03	---	---	---

महत्वपूर्ण टीप :-

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे।

3. विज्ञापित रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 एवं माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के WPC NO.591/2012, 592/2012, 593/2012, 594/2012, में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।

-:: भर्ती की पात्रता एवं शर्तें ::-

{01} सहायक ग्रेड-तीन (टायपिस्ट एवं सेल अमीन) के पद के लिये-

(1) वेतनमान - छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल- 04, (रूपये 19,500-62,000)

(2) शैक्षणिक योग्यता -

{अ} किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

{ब} किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [डी.सी.ए.] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड/लिब्रे ऑफिस तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान।

{स} अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिंदी टाईपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घंटा होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी।)

{02} भृत्य पद के लिये-

(1) वेतनमान - छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल- 01, (रूपये 15,600-49,400)

(2) शैक्षणिक योग्यता -

{अ} किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

{03} आकस्मिकता निधि के पद के लिये-

(1) वेतनमान - कलेक्टर जिला बालोद द्वारा निर्धारित दर पर

(2) शैक्षणिक योग्यता -

{अ} किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

नोट- ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बर्दई एवं प्लंबर अथवा अन्य उपयोगिता पूर्ण कार्यानुभव प्राप्त उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जा सकेगी। अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे। यह भी कि, प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। निजी/व्यक्ति/निजी संस्थान के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तः-

{1} आयु सीमा :-

उपरोक्त पदों के लिये ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जून, 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हों, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

छगग राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये पॉचवीं/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र, जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

{2} अन्य शर्त :-

1. रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए। [कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है]
2. सहायक ग्रेड-तीन एवं भृत्य के चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 03 वर्ष (तीन वर्ष) की परीक्षा अवधि पर की जावेगी इस परीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80%, 90%, राशि स्टार्टपेंड के रूप में देय होगा, किंतु परीक्षा अवधि में स्टार्टपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों के तरह प्राप्त होंगे।
3. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त की जाकर दण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
4. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति आदेश उपरांत पद-भार ग्रहण करने के पूर्व, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
6. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।
8. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
9. अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो वह अपात्र माना जायेगा।

-: आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

(टीप- माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 6049/तीन-18-27/2023/डी0ई0 बिलासपुर दिनांक 12.05.2023 के अनुसार स्थापना के सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही यथाशीघ्र आरंभ करते हुए उक्त रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही 03 माह के भीतर पूर्व करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसलिए भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है।)

- {1} आवेदन पत्र, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार ए-04 साइज पेपर में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर, वह आवेदित पद, जिसके लिए आवेदन किया गया हो, स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर प्रेषित किया जावे। जैसे कि -सहायक ग्रेड-3, भृत्य एवं आकस्मिकता निधि पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र, कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद, जिला-बालोद [छ0ग0] पिन कोड - 491226 के पते पर प्रेषित किया जावे। केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे, जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये हों और इस कार्यालय को दिनांक 05.07.2023 की संख्या 05.00 बजे तक प्राप्त हो गये हों। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 05.07.2023 की संख्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
- {2} आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- {3} ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करें।
- {4} जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

- [5] ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता/विभाग प्रमुख से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- [6] आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन फोटो, स्वप्रमाणित किया हुआ चस्पा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस या पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- [7] पंजीकृत डाक या स्पीड डाक पोस्ट के द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- [8] ई-मेल, फ़ैक्स एवं कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- [9] बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- [10] आवेदक को चाहिए की वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से भरे। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर उसे निरस्त किया जा सकेगा।
- [11] विज्ञापन एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला न्यायालय बालोद की वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/balod से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकेंगे।

:- नियुक्ति हेतु चयन विधि :-

1. सहायक ग्रेड-तीन (टायपिस्ट एवं सेल अमीन) -

- (अ) **लिखित परीक्षा** - लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कम्प्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। जिसमें प्रत्येक प्रश्न, 02 अंक का होगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची से एक पद के विरुद्ध 10 गुणा उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
- (ब) **कौशल परीक्षा** - उम्मीदवारों को लगभग 250 (दो सौ पचास) शब्द के गद्यांश को निर्धारित समय 10 (दस) मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक (1/2) काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 125 (एक सौ पच्चीस) अंक का होगा। कौशल परीक्षा **उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस** में टाइप करना होगा।

2. भृत्य –

(अ) “शारीरिक/कौशल परीक्षा”–

अभ्यर्थियों की संख्या, चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा पांचवी में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार 10 गुणा के सीमा के लगभग आवेदकों की छटनी कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास भृत्य पद का अनुभव/वाहन चालन का अनुभव/इलेक्ट्रिशियन/प्लंबर/माली/कुकिंग का अनुभव हो उन्हें इस संबंध में छुट रहेगी। भृत्य (Peon) के पदों पर चयन हेतु 50 अंकों की “शारीरिक/कौशल परीक्षा” आयोजित की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जावेगा। अभ्यर्थी के चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

3. आकस्मिकता निधि पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी –

(अ) “शारीरिक/कौशल परीक्षा”–

अभ्यर्थियों की संख्या, चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा पांचवी में प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार 10 गुणा के सीमा के लगभग आवेदकों की छटनी कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास भृत्य पद का अनुभव/वाहन चालन का अनुभव/इलेक्ट्रिशियन/प्लंबर/माली/कुकिंग का अनुभव हो उन्हें इस संबंध में छुट रहेगी। आकस्मिकता निधि पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पदों पर चयन हेतु 50 अंकों की “शारीरिक/कौशल परीक्षा” आयोजित की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जावेगा। अभ्यर्थी के चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

—:: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची ::—

- (01) सहायक ग्रेड-3 के पद पर चयन हेतु , केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार करते हुए चयन सूची तैयार की जायेगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

- (02) भृत्य एवं आकस्मिकता निधि पर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद पर चयन हेतु, शारीरिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार करते हुए चयन सूची तैयार की जायेगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।
- (03) प्रतीक्षा सूची परिलाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।
- (04) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आयेगा, उनका चयन किया जावेगा।

--: महत्वपूर्ण निर्देश :-

- [1] चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- [2] चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद का होगा।
- [3] सहायक ग्रेड-03 एवं भृत्य पद हेतु चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य (Fitness) प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
- [4] आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित कराया जायेगा।
- [5] चयनित उम्मीदवारों के, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- [6] चयन प्रक्रिया के संबंध में न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- [7] यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
- [8] अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
- [9] जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
- [10] आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/balod से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर

प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज , जैसे कि आधार कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस या मतदाता परिचय पत्र या पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा एवं आवश्यक जांच एवं परीक्षण परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

- {11} आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।
- {12} उम्मीदवारों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। उम्मीदवारों का पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/balod तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना है।

—: अन्य महत्वपूर्ण सूचना :-

01. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी।" नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छिपाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

03. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख नियमानुसार विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया के संबंध में न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बालोद का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

21/6/2023
अध्यक्ष

भर्ती एवं चयन समिति
न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद,
जिला-बालोद {छ.ग.}

अनुमोदन
21/6/2023
न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
बालोद (छ.ग.)

सहायक ग्रेड-03, भृत्य एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बालोद, जिला बालोद {छ0ग0}

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम
पासपोर्ट फोटो
दिनांक सहित

- 01 आवेदित पद का नाम —
- 02 आवेदक का पूरा नाम {हिन्दी में} —
- 03 अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पूरा नाम —
- 04 लिंग {पुरुष/महिला/अन्य} —
- 05 पिता/पति का नाम —
- 06 {अ}. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता —
-
-
-
- {ब}. स्थाई पता —
-
-
-
- 07 {अ}. जन्म तिथि {अंकों में} —
- {ब}. जन्म तिथि {शब्दों में} —
- {स}.दिनांक-01.06.2023 को आयु वर्ष—.....माह—.....दिन—.....
- {यदि आवेदक आयु में छूट का कोई दावा करता है तो उक्त के संबंध में आधार एवं दस्तावेज संलग्न करें}

- 08 क्या आवेदक छ.ग.राज्य का मूल निवासी है. —
 {सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें}
- 09 क्या आवेदक छ.ग.राज्य के लिये घोषित —
 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा
 वर्ग का सदस्य है ।
 {सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति-
 प्रमाण पत्र संलग्न करें}
- 10 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा—
 वर्ग अंकित करें
- 11 क्या आवेदक दिव्यांग है । —
 {यदि हां तो जिला चिकित्सालय के
 चिकित्सा बोर्ड का नवीनतम प्रमाण पत्र
 संलग्न करें}
- 12 क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है । —
 {यदि हां तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें}
- 13 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन—
 क्रमांक दिनांक/वैधता दिनांक
- 14 रोजगार कार्यालय का नाम —
- 15 क्या आप विवाहित है? हां या नहीं —

16 यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि —

17 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता —

क.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

18 अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) —

.....

- 19 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय-
संस्था में सेवारत है? यदि हाँ तो नियोक्ता
का अनापत्ति/अनुमति संलग्न करें ।
- 20 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
{स्वयं या राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित
होना चाहिये}
01. 02.
03. 04.
05. 06.
07. 08.
09. 10.

दिनांक-

स्थान-

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नं.

ई-मेल

(अनिवार्य रूप से भरे)

॥ घोषणा पत्र ॥

मैं.....पति/पत्नी/पिता/अभिभावक

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती/करता हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। चयन के किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र या नियुक्ति रद्द किये जाने के लिये मैं पूर्णतः जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी ।

स्थान-
दिनांक-

आवेदक का हस्ताक्षर.....

कार्यालय : न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बालोद जिला बालोद (छ.ग.)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित नवीनतम
पासपोर्ट फोटो दिनांक
सहित

॥ प्रवेश-पत्र ॥

सहायक ग्रेड-03, भृत्य एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:-	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	:-	

आवेदित पद का नाम :-

अभ्यर्थी का नाम :-

पिता/पति का नाम :-

वर्ग- :-

{अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व}

परीक्षा तिथि :-

समय :-

परीक्षा केन्द्र :-

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

--

वास्ते/न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले बाल पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवेगा। पृथक से प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/balod एवं सूचना पटल से ली जा सकेगी।
- 3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केलकूलेटर, मोबाइल लॉग टेबल, ब्लू टूथ, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से आवे।
- 5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।